न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजिस्टेशन नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/37/2020	2020/00085	02/07/2020	23-2-2021

1. आधार हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस आधार हाउसिंह फाईनेन्स लि0, द्वितीय तल यश टॉवर, भगत सिंह सर्किल के पास, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थी

बनाम

1. श्री अशोक कुमार गुर्जर पुत्र श्री खेमचन्द गुर्जर, निवासी फूटी खेल गालिब सैयद अलवर राजस्थान।
   दुसरा पता– ए.ई.एन., पी.एच.ई.डी. सबडिविजन–1, अलवर, स्कीम नं0 10 अलवर, राजस्थान 301001
   तृतीय पता– फूटी खेल गालिब सैयद, मौहल्ला एल.एम. नियर गालिब सैयद अलवर, राजस्थान–301001
2. सुनिता देवी पत्नी श्री अशोक कुमार गुर्जर, निवासी फूटी खेल गालिब सैयद अलवर राजस्थान।
   दुसरा पता– फूटी खेल गालिब सैयद, मौहल्ला एल.एम. नियर गालिब सैयद अलवर, राजस्थान–301001
3. सत्यनारायण, निवासी 5/277, देहली दरवाजा के बाहर, फूटी खेल अलवर, राजस्थान।
   दुसरा पता– पी.एच.ई.डी. (वाटर वर्क्स), स्कीम नं0 10 जैन मन्दिर के पीछे अलवर, राजस्थान–301001

अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को कुल 5,86,493/–रूपये की ऋण सुविधा दिनांक 30.01.2018 को उपलब्ध कराई थी तथा अप्रार्थी ऋणीयों/जमानतदारो द्वारा ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वंय की सम्पत्ति फूटी खेल गालिब सैयद मौहल्ला, एल.एम. नियर गालिब सैयद अलवर, राजस्थान 301001 दिशाऐं पूर्व में रोड 20 फीट चौड़ी, पश्चिम में मकान श्री हेमचन्द गुर्जर का, उत्तर में रोड़ 20 फीट चौड़ी, दक्षिण में गली 2 फीट चौड़ी सम्पत्ति को रहन रखा गया था। अप्रार्थी ने तयशुदा शर्तो के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

जिला कलक्टर, अलवर

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण राशि की अदायगी नही की गई। प्रार्थी ने उपरोक्त अचल सम्पत्ति फूटी खेल गालिब सैयद मौहल्ला, एल.एम. नियर गालिब सैयद अलवर, राजस्थान 301001 दिशाऐं पूर्व में रोड 20 फीट चौड़ी, पश्चिम में मकान श्री हेमचन्द गुर्जर का , उत्तर में रोड़ 20 फीट चौड़ी, दक्षिण में गली 2 फीट चौड़ी सम्पत्ति को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया गया है जिसका कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नही है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तो पर दिये जाते हैः–

1. रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत कोई आक्षेप प्राप्त होता है, तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।
2. आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रकिया/प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार अलवर, जिला अलवर को भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है, कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा–31 के प्रावधानो की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावें। आदेश की पालना पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो, रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक अलवर, जिला अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 23-2-2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर